माननीय प्रबन्ध परिषद की एकादश बैठक दिनांक 07.02.2008 परिवर्तित तिथि 06.02.08 पुनः परिवर्तित तिथि 23.02.2008 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की एकादश बैठक दिनांक 23.02.2008 को प्रातः 11.30 बजे उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद ,किसान मण्डी भवन (अष्टम तल) ,लखनऊ के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी –

1	डा0 एम0पी0 यादव, कुलपति	अध्यक्ष
2	श्री पी0 के0 अग्रवाल , विशेष सचिव (कृषि शिक्षा एवं अनुसंधन) उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	श्री नन्द किशोर द्विवेदी, विशेष सचिव (कृषि) उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	श्री देवनागर, कृषक वैज्ञानिक	सदस्य
5	श्री अनिल कुमार यादव , लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
6	श्री के0 बी0 सिंह , कृषि निदेशक , कृषि निदेशालय,लखनऊ	सदस्य
7	श्री रूद्र प्रताप सिंह, निदेशक पशुपालन , पशुपालन निदेशालय,लखनऊ	सदस्य
8	श्री ज्ञान सिंह, मण्डलीय अपर निदेशक पेंशन एवं कोषागार, मेरठ	सदस्य
9	डा0 बीर पाल सिंह , संयुक्त निदेशक(आई0सी0ए0आर0 प्रतिनिधि)	सदस्य
10	श्री हरे नारायण शुक्ल, वित्त नियन्त्रक	सचिव

माननीय प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय कुलपति जी / अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की ।

संकल्प सं0 1 माननीय प्रबन्ध परिषद की दशम् बैठक दिनांक 24.09.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की दशम् बैठक दिनांक 24.09.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

संकल्प सं0 2 माननीय प्रबन्ध परिषद की दशम् बैठक दिनांक 24.09.2007 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की दशम् बैठक दिनांक 24.09.2007 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या को अवलोकित किया गया ।

संकल्प सं0 3 डा0 आर0 के0 सिंह, सह निदेशक, उद्यान , कृषि विश्वविद्यालय , मेरठ की प्रतिनियुक्ति की शर्तें निर्धारित करने के सम्बन्ध में

डा0 आर0 के0 सिंह, सह निदेशक, उद्यान , कृषि विश्वविद्यालय , मेरठ ने दिनांक 01.06.2000 से 30.11.2005 तक (5 वर्ष 6 माह की अवधि) अपर निदेशक के पद पर कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा , लखनऊ की प्रतिनियुक्ति की अवधि पेंशन और अवकाश वेतन अंशदान नियमानुसार लेते हुए प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की गयी

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 4 **कृषि महाविद्यालय में स्थित कृषि बायोटेक्नोलॉजी विभाग को बायोटेक्नोलॉजी महाविद्यालय में संविलियन के सम्बन्ध में ।**

कृषि विश्वविद्यालय में स्थित कृषि बायोटेक्नोलॉजी विभाग को बायोटेक्नोलॉजी महाविद्यालय में संविलियन के सम्बन्ध में निर्द्रेशित किया गया कि प्रस्ताव में जो कमेटी डा0 आर0 पी0 शर्मा, की अध्यक्षता में बनायी गयी है, उस कमेटी की संस्तुति के साथ प्रस्ताव को पुनः मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक में रखा जाय ।

(कार्यवाही– कुल सचिव / मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 5 **विश्वविद्यालय में विधिक कार्यो के सम्पादन हेतु विधिक सलाहाकार की नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे अनेक वादों की समुचित पैरवी और उनसे सम्बन्धित कार्यो के सम्बन्ध में शासन के प्रतिनिधि द्वारा यह परामर्श दिया गया कि संविदा के आधार पर विधिक सलाहाकार के स्थान पर शासकीय विभागों में जिस प्रकार विधिक कार्यो के सम्पादन की व्यवस्था है उसी के अनुरूप विश्वविद्यालय में भी व्यवस्था की जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं06 **डा0 गजेन्द्रपाल, संयुक्त निदेशक प्रसार की Extra ordinary leave अवधि दिनांक 18.06. 1998 से 30.06.1998 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

डा0 गजेन्द्रपाल, संयुक्त निदेशक प्रसार की Extra ordinary leave अवधि दिनांक 18.06. 1998 से 30.06.1998 तक बढ़ाये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद ने निर्देशित किया कि यह प्रकरण पंतनगर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है और दो वर्ष की Extra ordinary leave पंतनगर द्वारा ही स्वीकृत की गई थी । अतः अवकाश बढ़ाये जाने के प्रकरण पर भी पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्णय लिया जाना चाहिए ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं07 **डा0 गजेन्द्रपाल, संयुक्त निदेशक प्रसार के पदनाम को संशोधित पदनाम प्राध्यापक, सस्य विज्ञान (प्रसार) देने के सम्बन्ध में ।**

डा0 गजेन्द्रपाल, संयुक्त निदेशक प्रसार पदनाम को संशोधित पदनाम प्राध्यापक, सस्य विज्ञान (प्रसार) देने के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि पहले इस प्रकरण को विद्वत परिषद में पारित कराया जाय तद्नुसार मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

(कार्यवाही– कुल सचिव/ मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं08 **अमर सिंह पी0जी0 कालेज लखावटी के तत्वाधान में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत 16 स्टाफ का विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों में संविलियन /समायोजन।**

अमर सिंह पी0जी0 कालेज लखावटी के तत्वाधान में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत 16 स्टाफ का विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों में संविलियन /समायोजन के

सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित करने हेतु आवश्यक भूमि (10 हैक्टेयर की कृषि विभाग द्वारा) उपलब्धता के बाद सूची के क्रमांक 2से 16 तक के कर्मचारियों को कृषि विश्वविद्यालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विश्वविद्यालय में समायोजित किया जा सकता है । सूची के क्रमांक 01 के कर्मचारी के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि इसे पुनः कमेटी को सन्दर्भित किया जाय तथा उपयुक्त पाये जाने पर विश्वविद्यालय में समायोजित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी / निदेशक प्रसार)

संकल्प सं0 9 विद्वत परिषद की 33 वीं बैठक दिनांक 05.12.2007 का कार्यवृत्त (Proceeding)का अनुमोदन ।

विद्वत परिषद की 33 वीं बैठक दिनांक 05.15.2007 का कार्यवृत्त (Proceeding)माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अवलोकन कर बिन्दु सं0 12 को छोड़कर शेष का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही– कुल सचिव)

संकल्प सं0 10 अनियमित रूप से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने व इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यावाही करने के सम्बन्ध में ।

अनियमित रूप से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने व इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यावाही करने के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन कुलपति पर कार्यवाही करते हुए उन्हें सेवा से वर्खास्त किया जा चुका है ,तत्कालीन कुलसचिव /समन्वयक कार्यक्रम का निधन हो चुका है तथा तत्कालीन वित्त नियन्त्रक का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है । अतः विश्वविद्यालय स्तर पर किसी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है । इस सम्बन्ध में शासन के प्रतिनिधि द्वारा यह कहा गया कि शासन के पत्र सं0 अर्धशा0पसं0/4013/67–कृशिअ0–07–400(52)/05 दिनांक 11 दिसम्बन्धर ,2007 का उत्तर भेज दिया जाय । इस पर कुलपति जी द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रेषित कर दिया गया था तथा पुनः प्रेषित कर दिया जायेगा ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी/ कुल सचिव)

संकल्प सं0 11 शासन द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पदों के विरूद्ध नियुक्तियों (गोपनीय) के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा नियुक्ति सम्बन्धी लिफाफों को शासन की लिखित अनुमति/ निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त खोलने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। कुलपति महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत / वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदों पर अधिक समय से नियुक्ति न होने के कारण कार्यबाधित हो रहा है और इन पदों को आई0सी0ए0आर0 द्वारा समाप्त कर दिये जाने की भी सम्भावना है । अतः प्रबन्ध परिषद द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि इस सम्बन्ध में 15 दिन के अन्दर प्रभावी कार्यवाही की जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य कार्मिक अधिकारी)

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

अ— विद्वत परिषद की 34 वीं (विशेष)बैठक दिनांक 20.02.2008 का कार्यवृत्त (Proceeding)का अनुमोदन।

विद्वत परिषद की 34 वीं (विशेष)बैठक दिनांक 20.02.2008 का कार्यवृत्त (Proceeding) माननीय प्रबन्ध परिषद अवलोकन कर बिन्दु सं0 01को छोड़कर शेष का अनुमोदन किया गया। बिन्दु सं0 01 के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि विद्वत परिषद द्वारा जो कमेटी बनायी गयी है उसके प्रत्यावेदन पर विद्वत परिषद द्वारा सावधानी पूर्वक विचार किया जाय तद्नुसार यदि आवश्यक हो और विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम एवं नियमों से आच्छादित प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद के विचार हेतु रखा जाय ।

(कार्यवाही— कुल सचिव)

ब— डा0 गजेन्द्र पाल ,संयुक्त निदेशक प्रसार को विश्वविद्यालय के सामान्य बजट में संयुक्त निदेशक प्रसार के रिक्त पद पर समायोजन के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा समयक विचार करते हुए कार्यपरिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ।

(कार्यवाही— मुख्य कार्मिक अधिकारी)

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

25/2/08

(हरे नारायण शुक्ल)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित

25/02/2008

(एम0पी0 यादव)
कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद

(M. P. Yadav)
Vice-Chancellor